WE
Vol 4 No. 2
December 2023
e-ISSN: 2583-2298

अगनपाखी उपन्यास में नारी मुक्ति के तत्व

गीता रानी*

1. प्रस्तावना

स्त्रियों की स्वतंत्रता उनके जन्म के साथ ही अस्वतंत्र हो जाती है. कइयों को तो गर्भ में ही समाप्त कर दिया जाता है. सड़कों पर माल अथवा सवारी ले जाते वाहनों के पीछे, 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के आह्वान को पढ़ने वाला समाज, शायद ही इसे लेकर गंभीर हो. आधी आबादी बिना पंखों के ही धरती पर घूम रही है. उन्हें उनके हिस्से का आसमान मिलना तो दूर की बात है, उन्हें उनके हिस्से के पंख भी नसीब नहीं हो रहे हैं. साहित्य में इन्हीं स्त्री समस्याओं को निरंतर उठाती मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास इसका एक उम्दा उदहारण हैं।

2. भुवनमोहिनी

लेखिका अपने सभी उपन्यासों में स्त्रियों के लिए एक मुखर स्वर की रचना करती हैं. 'अगनपाखी' में भी वे भुवनमोहिनी के स्वर को दृढ़ और प्रमुख स्वर के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं. भुवनमोहिनी के माध्यम से वे सामंती समाज के भीतर के दृश्यों में साँस लेती स्त्री का चरित्र प्रस्तुत करती हैं. भुवनमोहिनी की शादी ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है. यहाँ जीवन जीने के साधनों की कमी नहीं है इसके बाद भी भुवन के जीवन में किसी तरह का रस और आनंद नहीं है. वह इसे नियति मानकर स्वीकार तो कर लेती है पर इससे उसका जीवन और गहराई में अँधेरे का शिकार होने लगता है. पर लेखिका भुवन के चरित्र में होने वाले बदलावों को बिन्दुवार तरीके से रेखांकित करती हैं।

भुवनमोहिनी अनमेल विवाह के जाल में फंसती हैं जहाँ विजयसिंह एक सामान्य व्यक्ति की तरह न होकर असामन्य है. इसके बाद भी वह पारिवारिक मर्यादा और प्रतिष्ठा का खयाल रखते हुए उसकी सेवा करने के साथ धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से या प्रयत्न करती है कि वे दिए गए फ्रेम किसी तरह से फिट हो जाए. विजयसिंह के मरने के बाद उसकी स्थितियों में फर्क आना शुरू होता है. उसके जीवन में धार्मिक और सामाजिक परंपराओं का दख़ल होने लगता है. यहीं से भुवन अपने विचारों के माध्यम से स्त्री जीवन की मुक्ति द्वार के पास पहुँचती है. ख़ुद उसकी माँ विधवा होने पर परंपराओं को निभाने में गौरव महसूस करती है पर भुवनमोहिनी इस बात में अलग व्यक्तित्व रखती है. अगनपाखी उपन्यास में हम दो बिन्दुओं पर भुवन को मुक्ति के द्वार पर खड़ा हुआ देखते हैं. पहला सती किए जाने के पूरे जाल से उसका मंदिर से भागना और दूसरा बिंदु वह जब वह अपने ससुराल में अपने संबंधियों को अपनी संपत्ति के दावे के तौर पर एक हलफ़नामा लिखती है. ये दोनों बिंदु पूरे उपन्यास में भुवन की जीवनशक्ति का परिचय देते हैं. साथ में आधुनिकता के उस लोकतांत्रिक मूल्यों को स्त्री के मनुष्य होने संदर्भ में और भी स्पष्ट करते हैं जहाँ संवैधानिक अधिकारों की झलक है. जहाँ मौलिक अधिकारों का भुवन द्वारा अभ्यास किया जाता है-

"मैं भुवनमोहिनी, पत्नी स्वर्गीय विजयसिंह वल्द दुर्जयसिंह, निवासी ग्राम विराटा, जिला झाँसी, यह दावा करती हूँ कि मैं अपने पति के हिस्से की चल अचल संपत्ति की हक़दार हूँ. मुझे इत्तला मिली है कि मेरे पति के साथ मुझे भी मृतक दिखाया गया है और मेरे जेठ कुंवर अजयसिंह ने अकेले हक बरक़रार रखा है. क्योंकि स्वर्गीय विजय सिंह की कोई संतान नहीं है. कचहरी से अर्ज है कि अपने पति की जायदाद का हक सौंपा जाए. मैं कुंवर अजयसिंह की हकदारी पर सख्त ऐतराज करती हूँ."[1]

संविधान भले ही 1950 में लागू हो गया था पर ग्रामीण समाज में फैली हुई कुरीति पर अंकुश लगाना इतना सरल भी नहीं रहा है. विशेषरूप से तब जब कुप्रथाएं धर्म के रेशों में गुंथी हुई हों. भारत ही नहीं भारत से बाहर भी स्त्रियों को इन धार्मिक और सामाजिक रीति संस्कारों की भेंट चढ़ाया जाता रहा है. विच हंट हो या फिर कन्या जानकर गर्भ में ही मर दिया जाना सभी समाजों का हिस्सा रहा है. स्त्री को देह पार एक मनुष्य में देखना समाजों का अभ्यास रहा ही नहीं है. न वह ख़ुद का और ख़ुद के लिए चुनाव कर सकती है न ही वह फैसले लेने के काबिल मानी जाती है. संविधान इस व्यवस्था को पलटकर रख देता है और मनुष्य होने के अधिकार को स्थापित कर देता है. पति के मरने के बाद गाँव के लोग भुवन के दर्शन करने आते हैं. वे उसे श्रद्धा की नज़र से देखते हैं. उसको सजाया जाता है. उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है. उस पर सती होने के लिए दबाव बनाया जाता है. इस काम में उसकी सास और बाकि घर के लोग शामिल होते हैं. वह ऐसा नहीं करना चाहती पर उसे सामाजिक पारिवारिक प्रतिष्ठा का हवाला देकर यह समझाया जाता है कि यह कितना आवश्यक है. पर भुवन इसमें घुटन का अनुभव तो करती ही है साथ में यह उसकी जान का खतरा भी होता है. वह पूजारी की सहायता से मौका देखकर भाग जाती है।

सामाजिक अंधश्रद्धा का एक वास्तविक रूप सती की घटनाओं में देखने को मिलता है. सन् 1829 में ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था पर समाज में लोगों के भीतर यह प्रथा जारी ही रही. आज़ादी के कई साल बाद सन् 1987 में राजस्थान

*पी.एच.डी. शोधार्थी, बाबा भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बिहार, भारत

[1] मैत्रेयी पुष्पा, अगनपाखी

के सीकर जिले में एक स्त्री का सती होना यह दर्शाता है कि मानसिकता में कोई फर्क नहीं आया. द वायर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के बाद इस स्त्री के सती होने के बाद उसकी तेरहवीं के दिन चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया और उस आयोजन में लाखों लोग शामिल हुए.[2]

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि परिवार और गाँव के लोगों का कहना है कि यह स्त्री ख़ुद से ही सती हुई जबकि छानबीन में यह नहीं आया था. इस स्त्री पर सती होने के लिए दबाव बनाया गया था. साथ ही यह भी पता चलता है कि इनके नाम पर वहां छोटा-सा मंदिर भी बना दिया गया है.[3] मैत्रेयी पुष्पा, अगनपाखी उपन्यास में भुवन को इस अंजाम तक नहीं पहुँचने देतीं. वे अपने इस चरित्र में सारी शक्ति और बल को भरते हुए उसे इस कुप्रथा से बचाती हैं. भुवन मंदिर से ही भाग जाती है. पर गाँव और परिवार के लोग उसके पति की चिता पर भुवन का प्रतीक पुतला रखकर जलाते हैं. यह आधुनिक भारत में स्त्रियों की मुक्ति में बाधा की तरह उपन्यास में दिखाई देता है. एक भीड़ का इस कद्र धर्म और रस्म के नाम पर अँधा होना चिंता का ही विषय है.

अगनपाखी उपन्यास में जिस गाँव का चित्रण है वह गाँव ही सती की जाने वाली स्त्रियों के नाम से जाना जाता है. सती करने की अमानवीय प्रथा में समाज, धर्म और राजनीति का गठजोड़ स्पष्ट नज़र आता है. राजस्थान में सन् 1987 की घटना के बाद हुई तमाम तरह गतिविधियों पर सामाजिक कार्यकर्ता ममता जेटली ने एक किताब भी लिखी. वे कहती हैं, "इस केस में धर्म, राजनीति और पितृसत्ता का जो गठजोड़ दिखाई दिया उससे यह तो तय हो गया कि राजसत्ता भी पुरुष प्रधान मानसिकता से ग्रसित है. इसीलिए उसका झुकाव इन्हीं ताकतों के प्रति है."[4] अगनपाखी उपन्यास में इसके बीज भी दिखाई देते हैं.

भुवन एक विधवा स्त्री के रूप में भी चित्रित है. उसे चंदर से प्रेम है. संबंधों के बीच यह प्रेम भुवन की रोगी पति से विवाह के साथ समाप्त करने की कोशिश की जाती है. कहानी में यह नाटकीयता लिए हुए है. भुवन और चंदर को अलग करने के रास्ते तलाशे जाते हैं और यह विजयसिंह से विवाह तक ले जाता है. उसकी कुछ समय बाद मृत्यु भुवन को एक अन्य सामाजिक रूप में प्रस्तुत कर देती है और वह विधवा रूप है. यह भी पुरुष से संबंधित है. पितृसत्तात्मक संरचना में स्त्री के हिस्से जितने रूप उसे सामाजिक रूप से बनाकर दिए जाते हैं वे सभी उसके संबंधों से परिभाषित होकर उसे मिलते हैं. वह बेटी है तो पिता की जिम्मेदारी है. पत्नी है तो उसका स्वामी उसका पति है. बहन है तो वह भाई की देखरेख में रहेगी अथवा माँ है तो बेटे की शरण उसकी अंतिम शरणस्थली है. स्त्री का स्वतंत्र अस्तित्व ही गायब है. वह निर्भरता पर जीवित-सी दिखाई देती है. अगनपाखी में भुवन इससे भी बाहर आने वाली चरित्र के रूप में प्रकट होती है और अपनी माँ से एकदम अलग विचार रखती है. वास्तव में भुवन के एक्शन उसकी सक्रियता जीवन की ओर जाने वाले हैं. जहाँ किसी स्त्री का एक मानवीय रूप दृश्य में आने लगता है. ब्रिटिश भारत में विधवा-पुनर्विवाह सन् 1856 में कानून पारित किया गया है. इसके पीछे उस दौर के तमाम सामाजिक सुधारकों का हाथ था. अगनपाखी उपन्यास में भुवन का चंदर से प्रेम यह बताता है कि भुवन अच्छी तरह से अपने एहसासों के प्रति जागरूक है.

अगनपाखी उपन्यास में, स्त्रियों के लिए आर्थिक अधिकार के दृश्य भी मौजूद हैं. भुवन द्वारा पेश किया गया हलफनामा इस बात का प्रमाण है. वह अपने पति के हक पर दावा कर अपने जेठ द्वारा सारी संपत्ति हड़पने को लेकर सावधान है. उसका जेठ इस हलफनामे के बाद एक तरह से सदमें की स्थिति में है- "तहसील में जब अर्जी पढ़ी गई तब लोग सन्न रह गए. कुंवर अजय सिंह का चेहरा पीला पड़ गया जैसे उन्होंने सामने खड़ी बाघिन देख ली हो जबकि वहां कोई स्त्री उपस्थित नहीं थी..."[5]

3. निष्कर्ष

अतः कहा जा सकता है कि अगनपाखी उपन्यास में स्त्री मुक्ति के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जीवंत रूप से प्रकट हुए हैं. भुवन का चरित्र लाचार और अबला का चरित्र बिलकुल नहीं है. वह मूल अर्थों में आधुनिक संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग जानती है. वह अपने चरित्र में मानवीय अधिकारों को लेना और उनका अभ्यास करती हुई दिखाई देती है.

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

मैत्रेयी पुष्पा:स्त्री होने की कथा पृष्ठ 118 स. विजय सिंह बहादुर

मैत्रेयी पुष्पा: के उपन्यासों में नारी - डॉ. संतोष पवार पृष्ठ-11

अल्मा कबूतरी:मैत्रेयी पुष्पा, पृष्ठ सं. 294 प्रकाशक: राजकमल

मैत्रेयी पुष्पा: अगनपाखी- पृष्ठ 07

मैत्रेयी पुष्पा के उपन्यास: एक अनुशीलन- डॉ. ऋचा शर्मा पृष्ठ सं. 27 प्रकाशक: नमन प्रकाशन

मैत्रेयी पुष्पा: विजन, पृष्ठ 116

[2] https://m.thewirehindi.com/article/rajasthan-roop-kanwar-sati-case-sikar-divrala-village/96724
[3] https://m.thewirehindi.com/article/rajasthan-roop-kanwar-sati-case-sikar-divrala-village/96724
[4] https://m.thewirehindi.com/article/rajasthan-roop-kanwar-sati-case-sikar-divrala-village/96724
[5] मैत्रेयी पुष्पा, अगनपाखी